

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2019-ज्येष्ठ 24, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम रोशनी टोप्पो था। विवाह के बाद मेरा नाम रोशनी टोप्पो एकका हो गया है। अतः मुझे अब रोशनी टोप्पो एकका के नाम से ही जाना, पहचाना और पुकारा जावे।

पुराना नाम :

(रोशनी टोप्पो)

(225-बी.)

नया नाम :

(रोशनी टोप्पो एकका)

पत्नी-श्री पैतृक एकका,
बी-26 गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर,
तहसील राधौगढ़, जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गीता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम गुड़ी कुशवाह है जो मेरे सभी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास-बुक एवं एल. आई. सी. पौलिसीयों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है। मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 27-12-1993 को श्री तेजपाल सिंह के साथ हो गया है। विवाह उपरांत मेरा नाम गीता पत्नी श्री तेजपाल सिंह हो गया है वर्तमान में गीता पत्नी श्री तेजपाल सिंह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम गीता पत्नी श्री तेजपाल सिंह के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगीं अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं एल. आई. सी. पौलिसीयों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गुड़ी कुशवाह के नाम के स्थान पर गीता पत्नी श्री तेजपाल सिंह लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(गुड़ी कुशवाह)

(240-बी.)

नया नाम :

(गीता)

पत्नी श्री तेजपाल सिंह,
ग्राम रुद्रपुरा, सुसेरा रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मीना कुमारी पुत्री भगवानदास, निवासी अशोक कॉलोनी मुरार, ग्वालियर का विवाह दिनांक 29-01-2016 को मोनिष वर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश वर्मा, निवासी रसूलाबाद हजीरा, ग्वालियर से हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ है।

विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती मीना वर्मा पत्नी मोनिष वर्मा, निवासी रसूलाबाद हजीरा, ग्वालियर हो गया है। अब आगे भविष्य में मुझे इसी नाम श्रीमती मीना वर्मा पत्नी मोनिष वर्मा से ही जाना जावे।

पुराना नाम :
 (मीना कुमारी)
 पुत्री-भगवान दास.
 (227-बी.)

नया नाम :
 (मीना वर्मा)
 पत्नी-श्री मोनिष वर्मा,
 नि. रसूलाबाद, हजीरा ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची में मेरा नाम शीतल सिंह जाटव पुत्र श्री मोतीराम जाटव अंकित है। मैंने अपना नाम बदलकर सीताराम जाटव पुत्र श्री मोतीराम जाटव रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :
 (शीतल सिंह जाटव)
 पुत्र-श्री मोतीराम जाटव.
 (226-बी.)

नया नाम :
 (सीताराम जाटव)
 पुत्र-श्री मोतीराम जाटव.
 पता-सिंधिया नगर नीडम के पास,
 लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, बारेलाल कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ की मेरा बचपन का नाम बल्लू सिंह था और वर्तमान में मुझे बारेलाल कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और बारेलाल कुशवाह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम बल्लू सिंह लिखा गया है। जो कि गलत है अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बल्लू सिंह के स्थान पर बारेलाल कुशवाह लिखा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
 (बल्लू सिंह)
 (228-बी.)

नया नाम :
 (बारेलाल कुशवाह)
 पता-ग्राम सोजना तिघरा,
 जिला-ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुषमा गोयल सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम सुषमा अग्रवाल पुत्री श्री मुनालाल अग्रवाल था। जो मेरे सभी शासकीय/अद्वेशासकीय एवं भारतीय यूनिट ट्रस्टों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू रिती-रिवाज से श्री जगमोहन गोयल के साथ हो गया है। विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्री जगमोहन गोयल हो गया है। वर्तमान में श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्री जगमोहन गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं, इसी नाम श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्री जगमोहन गोयल के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। अतः मेरे शासकीय/अद्वेशासकीय एवं भारतीय यूनिट ट्रस्टों में एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुषमा अग्रवाल के स्थान पर श्रीमती सुषमा गोयल पत्नी श्री जगमोहन गोयल लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :
 (सुषमा अग्रवाल)
 (229-बी.)

नया नाम :
 (सुषमा गोयल)
 पत्नी-श्री जगमोहन गोयल,
 दुर्गा निवास रोशनी घर रोड,
 लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आशीष कुमार पाण्डे था, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम आशीष पाण्डे रख लिया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम आशीष पाण्डे से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :
 (आशीष कुमार पाण्डे)
 (232-बी.)

नया नाम :
 (आशीष पाण्डे)
 वार्ड क्र. 13 नर्मदा नगर,
 राम मंदिर के पास, खरगौन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दुर्गा भाटी व जन्म दिनांक 15-06-1983 है, किन्तु विवाह पूर्व का मेरा नाम दुर्गा उर्फ मीना (मेरा घर का नाम) था, जिनमें से मीना नाम मेरे विवाह के बाद वाले दस्तावेजों में भी गलती से लिखा गया है, जो कि गलत और असुविधाजनक है, अतः मेरे विवाह के बाद के सभी दस्तावेजों में भी मेरा सम्पूर्ण विवरण सही से दुर्गा भाटी पति भागीरथ भाटी एवं जन्म दिनांक 15-06-1983 ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :
(दुर्गा उर्फ मीना)
 पिता-रमेशचन्द्र.
 (233-बी.)

नया नाम :
(दुर्गा भाटी)
 पति-भागीरथ भाटी,
 58, ग्राम रालामण्डल, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राम अवतार पाल (RAM AVTAR PAL) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ, मेरा राम अवतार (RAM AVTAR) था जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में अंकित है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम राम अवतार पाल (RAM AVTAR PAL) अंकित है एवं वर्तमान में मुझे राम अवतार पाल (RAM AVTAR PAL) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम राम अवतार पाल (RAM AVTAR PAL) के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम राम अवतार पाल (RAM AVTAR PAL) अंकित किया जाए, सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :
(राम अवतार)
(RAM AVTAR)
 (237-बी.)

नया नाम :
(राम अवतार पाल)
(RAM AVTAR PAL)
 निवासी-वार्ड क्र. 11 इन्दरगढ़,
 जिला-दतिया (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

We are the change of our son name from DAKSH KAUL to DIVY KAUL S/o NITESH KAUL and now he would known by DIVY KAUL S/o NITESH KAUL.

Old Name :
(DAKSH KAUL)
 (239-B.)

New Name :
(DIVY KAUL)
 Father-Nitesh Kaul
 Mother-Reetika Kaul
 Address-Flat No. 502, Annapurna Princes Vista,
 8/2, Snehalataganj, Indore (M.P.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एम.एस. बालाजी डेवलेपर्स एण्ड एसोसिएट्स रजिस्ट्रेशन नम्बर 05/23/0173/18, दिनांक 06-03-2018 में पार्टनर शिप में चार भागीदार थे भागीदार क्रमांक (1) अखिलेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज दिलीप कुमार सिंह उम्र- 35 वर्ष, (2) रविरजन शर्मा आत्मज सुरेन्द्र शर्मा उम्र 39 वर्ष, (3) करन कुमार तोमर आत्मज श्री सत्य नारायण तोमर उम्र 28 वर्ष, (4) राम चरण केशरवानी आत्मज श्री सम्मत केशरवानी उम्र 40 वर्ष जिसमें रामचरण केशरवानी व रवि रंजन शर्मा अपनी इच्छानुसार फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त कर रहे हैं। अतः (1) अखिलेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज दिलीप कुमार सिंह उम्र 35 वर्ष, (2) करन कुमार तोमर आत्मज श्री सत्य नारायण तोमर उम्र 28 वर्ष ही अब फर्म एम.एस. बालाजी डेवलेपर्स एण्ड एसोसिएट्स में दोनों ही भागीदार रहेंगे।

(230-बी.)

अखिलेन्द्र प्रताप सिंह,
 करन कुमार तोमर,
 (भागीदार)
 शहडोल (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर पंजीयन क्र. 00034/14, दिनांक 28-05-2014 एवं जिसका पता- 302, तुलसी विहार, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर है. दिनांक 16-06-2017 से भागीदार (1) श्री विशाम्बर दयाल गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल, निवासी- भरतपुर, (2) बृजेश कुमार पुत्र श्री महेश सिंह, निवासी-बहादुरपुर ग्वालियर, (3) बीरेन्द्र डोगरा पुत्र श्री गुलावराम डोगरा, निवासी- शक्ति नगर, आगरा अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 16-06-2017 से (1) राजेश कुमार गर्ग पुत्र श्री विष्णुदेव गर्ग, निवासी- गांधी रोड, ग्वालियर, (2) अनुराग सिंह कुशवाह पुत्र श्री जयसिंह कुशवाह, निवासी- हरिओम कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, (3) परमाल सिंह यादव पुत्र श्री प्रेम सिंह यादव, निवासी- हुरावली, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मैसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर,

विष्णु कुमार सिंहल,

(भागीदार)

पता-302, तुलसी विहार, सचिन तेंदुलकर मार्ग,
ग्वालियर (म.प्र.).

(231-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ठेकेदार लक्ष्मण सिंह राजपूत जिसका फर्म का रजिस्ट्रेशन क्र. 0442/16, दिनांक 25-02-2016 है जिसका कार्यालय का पता म.न. 1115/978, रुद्र कॉलोनी, कलेक्टर बंगले के सामने, मालाखेड़ी रोड, होशंगाबाद (म.प्र.) का संचालन कुल 14 साझेदारों द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसमें से चार भागीदार श्रीमती बिन्दु कंवर पत्नी पंकज सिंह जादौन, श्रीमती राधा कंवर पत्नी श्री सतीश सिंह जादौन, श्रीमती मिथिलेश देवी पत्नी श्री सत्य स्वरूप जादौन और श्री रामराज सिंह जादौन आत्मज श्री दिलीप सिंह जादौन ने अपने स्वेच्छा से फर्म से अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 27-04-2018 को प्राप्त कर चारों भागीदार पृथक हो चुके हैं और अब उक्त फर्म से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है और दिनांक 27-04-2018 को ही तीन नये भागीदार श्री पंकज सिंह जादौन आ. श्री शिशुपाल सिंह जादौन निवासी-325, वर्धमान नगर, हिण्डौन सिटी, करौली (राज.), श्री सतीश सिंह जादौन आ. छोटू सिंह जादौन निवासी-325, वर्धमान नगर, हिण्डौन सिटी, करौली (राज.), एवं विजय प्रताप सिंह आ. श्री सत्यस्वरूप सिंह निवासी-255/276, उदय अपार्टमेन्ट, जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, गली न. 8, कुईस रोड, जयपुर (राज.) नये भागीदार के तौर पर सम्मिलित हो चुके हैं अर्थात् उक्त फर्म का संचालन वर्तमान में 13 साझेदारों द्वारा संचालित किया जा रहा है.

मैसर्स ठेकेदार लक्ष्मण सिंह राजपूत,

लक्ष्मण सिंह राजपूत,

(भागीदार)

होशंगाबाद (म.प्र.).

(234-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स धनपाल पीतांबरलाल पाटनी रजि. क्र. 269/1969-70, दिनांक 30-06-1969, सुकलुढाना, सिवनी रोड, छिंदवाडा, तहसील एवं जिला छिंदवाडा के भागीदार श्री विजय कुमार पाटनी का स्वर्गवास दिनांक 08-04-2019 को हो गया है एवं भागीदार श्री अरूण कुमार पाटनी ने भी बढ़ती उम्र एवं अस्वस्था के कारण फर्म से रिटायर होने की इच्छा जाहिर की है. अतः भागीदारी फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है एवं अब भागीदारी फर्म में स्व. विजय कुमार पाटनी एवं अरूण कुमार पाटनी दिनांक 08-04-2019 को भागीदारी फर्म में भागीदार न रहने से एवं नये भागीदार अक्षय पाटनी, विजितराज पाटनी एवं विज्ञातराज पाटनी द्वारा फर्म की भागीदारी में शामिल होने की इच्छा जाहिर किये जाने से दिनांक 08-04-2019 को उन्हें फर्म की भागीदारी में शामिल किया गया है. अतः उक्त फर्म का पुर्नगठन भागीदार श्री श्रेय पाटनी, श्री अक्षय पाटनी, श्री विजितराज पाटनी एवं श्री विज्ञातराज पाटनी के द्वारा दिनांक 08-04-2019 से कर लिया गया है अतः पुर्नगठित फर्म मैसर्स धनपाल पीतांबरलाल पाटनी के सभी प्रकार के व्यवहारों के लिये ये ही भागीदार अधिकारी एवं उत्तरदायी होंगे. तदनुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

श्रेय पाटनी,

(भागीदार).

(236-बी.)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सुरेंद्र सिंह भाटिया फर्म जिसका पता- 1163, बख्तावर गली, महू (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 285, दिनांक 15-05-1986 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री सुरेंद्र सिंह भाटिया पिता श्री बहादुर सिंह भाटिया,

2. श्री जगजीत सिंह भाटिया पिता श्री बहादुर सिंह भाटिया, 3. श्री सतनाम सिंह भाटिया पिता श्री बहादुर सिंह भाटिया थे तत्पश्चात् दिनांक 02-07-2018 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री हरप्रीत सिंह भाटिया पिता श्री सुरेंद्र सिंह भाटिया भागीदारी फर्म मेसर्स सुरेंद्र सिंह भाटिया में सम्मिलित हो गए हैं एवं फर्म का पता- 54-55, सिमरोल रोड, महू हो गया है। यह विदित हो।

तर्फे मेसर्स सुरेंद्र सिंह भाटिया,

1. सुरेंद्र सिंह भाटिया, 2. जगजीत सिंह भाटिया,
3. सतनाम सिंह भाटिया, 4. हरप्रीत सिंह भाटिया,

(238-बी.)

(भागीदार)।

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर
फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक ग्यासुद्दीन पिता शाहाबुद्दीन, पता-आय.डी.ए. बिल्डिंग, 6/1 चम्पाबाग, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा दावत-ए-इस्लामी हिन्द (म.प्र.), पता-फैजान-ए-कंजुल इमाम मस्जिद, प्लाट नं. 192, गली नं. 6, चन्दन नगर, इन्दौर जिला इन्दौर के पंजीयन हेतु फर्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र संलग्न निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 007012727, दिनांक 11-03-2019 ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के प्रस्तुत किये गये। न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 10,000/- है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दावत-ए-इस्लामी हिन्द, इन्दौर (म.प्र.).
पता	:	कार्यालय पता-फैजान-ए-कंजुल इमाम मस्जिद, प्लाट नं. 292, गली नं. 6, चन्दन नगर, इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक..... अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(370)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक मुल्ला अली असगर पिता जैनुद्दीन नजरमुनीम, पता-98-बी, मस्किन ए-सैफिया बिजलपुर, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट मस्किन-ए-सैफिया इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र संलग्न निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 007012600, दिनांक 09-03-2019 ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के प्रस्तुत किये गये। न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 5,300/- है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट मस्किन-ए-सैफिया इन्डौर.
पता	:	कार्यालय पता-दाऊदी बोहरा मस्जिद, मसाकिन ए. सैफिया बिजलपुर इन्डौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5300/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार तीन सौ मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक..... अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(371)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक शेख ताहेर अली तैय्यब अली आसिफ, पता-109, सेक्टर-बी, हसनजी नगर, रंगवासा इन्डौर म.प्र. द्वारा अंजुमन-ए-हकीमी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, हसनजी नगर इन्डौर दाऊदी बोहरा मस्जिद, हसनजी नगर, रंगवासा, इन्डौर मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र संलग्न निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 007012625, दिनांक 09-03-2019 ट्रस्ट डीड की छायाप्रति के प्रस्तुत किये गये। न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 5,300/- है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	अंजुमन-ए-हकीमी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, हसनजी नगर इन्डौर.
पता	:	कार्यालय पता-दाऊदी बोहरा मस्जिद, हसनजी नगर, रंगवासा, इन्डौर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5300/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार तीन सौ मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक..... अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(372)

रवि कुमार सिंह,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय पंजीयक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, मनासा जिला नीमच

प्र.क्र.004/बी-113/2017-18.

मनासा, दिनांक 17 मई, 2019

प्रो. क्रमांक 61/रीडर/2019

प्रारूप-4

[नियम 5 देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-5 की उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1951 की धारा-5 (1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मनासा के समक्ष।

चूंकि आवेदक अरावली गौ सेवा ट्रस्ट कार्यालय बी. एस. एल. ऑफिस के पास कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.) की ओर से अरावली गौ सेवा ट्रस्ट के न्यास पंजीयन का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीस) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 29-06-2019 को विचार के लिये लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना (विज्ञप्ति) द्वारा सूचना दी जाती है।

मैं, के. के. मालवीय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, मनासा अपने न्यायालय में दिनांक 29-06-2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतएव एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

न्यास का नाम	:	श्री अरावली गौ सेवा ट्रस्ट कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति का विवरण	:	10000/- रुपये हैं जो अनुमानित मूल्य सहित जंगम संपत्ति.
चल सम्पत्ति का विवरण	:	बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुकड़ेश्वर, तहसील मनासा, शाखा मनासा में न्यास के बचत खाता क्र.3700066747 IFSC Code CBINO281628 में जमा है।

के. के. मालवीय,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(367)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1	2	3	4
1.	संजीवनी साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2108	2067/ 4-12-2018

अतः मैं, नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हों तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

नितिन मेहरा,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक .

(361)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत]

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समिति जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाई गई है तथा 70(1) के तहत मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्र./दिनांक
1.	संस्कारधानी बहुउद्योगीय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	2047	2021/ 24-11-2018

अतः मैं, सुनीत नेमा, उप-अंकेक्षक, जबलपुर एवं परिसमापक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57(सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। चार्ज में जो भी रिकार्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समिति के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समिति की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सुनीत नेमा,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक।

(362)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम

रतलाम, दिनांक 06 मई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/824.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) सी/ग के अन्तर्गत अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंगवाड़ी, पंजीयन क्रमांक-996, दिनांक 16-03-2015 को आदेश क्रमांक-1182, दिनांक 31-12-2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. खन्ना, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1825, रतलाम दिनांक 11-10-2018 से श्री आर. के. खन्ना के स्थान पर श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि निर्वाचन न कराने पर संस्था को परिसमापन में लाया गया है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संस्था को पुर्णजीवित किया जाना आवश्यक है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुर्णजीवित किया जाये।

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंगवाड़ी, पंजीयन क्रमांक-996, दिनांक 16-03-2015 का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्यसंचालन के लिये श्री किशोर रणछोड़, श्रीमती सुमित्रा मांगीलाल पन्नालाल की तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करता हूँ तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करे।

यह आदेश आज दिनांक 06 मई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

परमानंद गोडरिया,
उप-पंजीयक।

(368)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019-ज्येष्ठ 24, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है:-

(अ)-0.01 मि. मी. से 17.04 मि. मी. तक:- तहसील गोपदबनास, मझोली, चुरहट (सीधी), सरई (सिंगरोली), नैनपुर, मण्डला (मण्डला) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, व बालाघाट में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी:- जिला मुरैना, भिण्ड, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, देवास, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति :-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई :- ..

6. सिंचाई :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, नीमच, उमरिया, सिंगरोली, शाजापुर, विदिशा, सीहोर, बड़वानी, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति:-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 9 जनवरी, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है। बोनी चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है।	3. .. 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों समान. चना, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गन्ना, चना कम. गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, धनियां बीज समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, मसूर कम. गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बर्ट्टेवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छत्तरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छत्तरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर 6. देवन्द्रनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ जौ, चना, मसूर, मटर, तेबड़ा, राई-सरसों, अलसी, गना कम. आलू-प्याज अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. *जिला दमोह : 1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पश्चिमिया 5. जबेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्यौथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, मटर, अधिक. अलसी, मसूर समान. (2) अलसी समान. शेष फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चंदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, मसूर, जौ, राई-सरसों, गेहूँ समान हैं. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन	8.4 .. 3.0 .. 4.4				
20. जिला सिंगराली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. रामतिल, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी समान. (2) रामतिल बिगड़ी. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवपर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगराली	.. 7.2				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. दलोदा 9. धुंधडुक्का 10. संजीत 11. कयामपुर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ सरसों, मटर, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	..				
3. सिंगोली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, रावा कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. बड़ौदा	..				7. .. 8. ..
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) रबी, उड्डद, मसूर, मटर, राई-सरसों कम. गेहूँ, रबी मूँग, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. रामा 5. झावुआ 6. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीवाड़ा 4. सौंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्की 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. गौतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ कम. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36.*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) चना समान है. गेहूँ सुधरी हुई है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. श्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर कम. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर समान. गन्ना, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरूल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. (2) तुअर बिगड़ी हुई है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुर	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैतूल	..				
2. भैसदेही	..				
3. घोड़डोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ कम, चना, मसूर, राई-सरसों, मटर, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटांव	..				
5. हड्डिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ी	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	6.0 1.6				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सांसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुणा				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) मटर, तुअर. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी				

*जिला:- जिला दमोह, आगर, राजगढ़ व बैतूल से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(365)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.